

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री अरुण कुमार

विपक्षी :- श्री मांगीलाल वगैरह

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 76/16

जीसीएमएस नम्बर :- 2016/00017

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 09.04.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस टी.आई. सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 की खाता संख्या 343 पर दर्ज आराजी नम्बर 1650 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।</p> <p>न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा है परन्तु विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण मौके पर निर्माण करने पर उतारू हैं। इसलिए यदि विपक्षीगण मौके पर निर्माण कर भौतिक स्वरूप में परिवर्तन कर देता है तो इससे दोनों की पक्ष को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा यदि केवल विपक्षीगण को ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते हैं तो इससे प्रकरण में अनावश्यक</p>	

पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्बत् 2069-72 की खाता संख्या 343 पर दर्ज आराजी नम्बर 1650 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य एवं निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली